निदेश सं 87

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
(एस. टी. एस. बिल्डिंग),
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

एफ. सं. ए 110018/01/2021-सीएक्यूएम/1194 DT **दिनांकः 02.01.2025**

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021, उसके तहत बनाए गए नियमों या आयोग द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश के किसी भी प्रावधान का गैर-अनुपालन या उल्लंघन - के संबंध में।

1. जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (जिसे आगे आयोग कहा जाएगा) का गठन किया है |

2. जबकि, अधिनियम की धारा 12(1) के तहत आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता को संरक्षित करने और सुधारने के उद्देश्य से सभी ऐसे उपाय करने, निदेश जारी करने आदि की शक्तियां प्राप्त हैं, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझता है |

3. जबकि, आयोग इस बात पर प्रकाश डालता रहा है कि वाहनों और परिवहन क्षेत्र से होने वाला प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से होने वाली धूल, कृषि पराली जलाना, सड़क और खुले क्षेत्रों से होने वाला धूल प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों से होने वाला प्रदूषण, नगर निगम ठोस/प्लास्टिक अपशिष्ट जलाना, बायोमास जलाना, सैनिटरी लैंडफिल में आग लगना और अन्य प्रासंगिक घटनाएं जिनमें विविध बिखरे हुए स्रोत और एनसीआर में प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां शामिल हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए प्रमुख योगदान कारक हैं |

4. जबकि, आयोग ने एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार तथा केंद्र और राज्य सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न संबंधित संगठनों के साथ बार-बार उठाया है और एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर निदेश, परामर्श, कार्यकारी आदेश आदि जारी किए हैं |
5. जबकि, एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दे को सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए सामूहिक, सहयोगात्मक और भागीदारीपूर्ण तरीके से व्यापक रूप से संबोधित

करने के लिए, आयोग द्वारा विभिन्न योगदान देने वाले क्षेत्रों में क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में उपायों की एक श्रृंखला शुरू की गई है/उन पर प्रगति हुई है |

6. जबकि, आयोग ने अपने निदेश संख्या 65 दिनांक 23.06.2022 के माध्यम से, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, पूरे एनसीआर में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अनुमोदित ईंधन की एक मानक सूची को अपनाने का निदेश दिया है |

7. जबकि, आयोग ने वैधानिक निदेशों के माध्यम से सीपीसीबी द्वारा जारी राष्ट्रीय मानकों की तुलना में, एनसीआर के लिए उत्सर्जन के कड़े मानकों को भी निर्धारित किया है, बायोमास आधारित ईंधन, धातुकर्म कोक और ईंधन के एलएसएचएस परिवार के संबंध में, जहां भी आयोग द्वारा अनुमोदित ईंधन की मानक सूची के तहत अनुमति दी गई है |

8. जबकि, आयोग ने अपने निदेश संख्या 76 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, एनसीआर में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों (केवल नियमित बिजली आपूर्ति विफलताओं के खिलाफ बैकअप के रूप में) के विनियमित संचालन के लिए अनुसूची को अपनाने का निदेश दिया है, जिसमें डीजी सेटों से उत्सर्जन नियंत्रण तंत्र को विधिवत निर्धारित किया गया है |

9. जबकि, आयोग उपर्युक्त निदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित करता रहा है |

10. जबकि, सर्दियों के महत्वपूर्ण महीनों के दौरान एनसीआर में सामान्य रूप से प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य के मद्देनजर, एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) वायु प्रदूषण के स्तर की गंभीरता के आधार पर, प्रभाव को कम करने के लिए एनसीआर में पहचान की गई एजेंसियों द्वारा शुरू/कार्यान्वित किए जाने वाले निवारक/प्रतिबंधात्मक आपातकालीन उपायों के विशिष्ट सेट का प्रावधान करता है और आयोग ने समय-समय पर इसके कार्यान्वयन के लिए निदेश जारी किए हैं |

11. जबकि, आयोग द्वारा जारी किए गए निदेश बाध्यकारी प्रकृति के हैं और ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी आयोग द्वारा जारी किए गए ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं |

12. जबकि, धारा 12(2)(xi) के तहत अधिनियम, आयोग को विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निदेश जारी करने का अधिकार देता है, जो ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा |

13. जबकि, अधिनियम की धारा 14 यह भी निर्धारित करती है कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान, उसके तहत बनाए गए नियमों या आयोग द्वारा जारी किसी भी आदेश या निदेश का कोई भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा |

14. जबकि, अधिनियम की धारा 14(2) यह निर्धारित करती है कि ऐसा अपराध गैर-संज्ञेय होगा और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा, जो आयोग या आयोग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

15. जबकि, कार्यान्वयन/पर्यवेक्षण एजेंसियों द्वारा तथा सार्वजनिक शिकायतों और अभ्यावेदनों आदि के माध्यम से आयोग के वैधानिक निदेशों और आदेशों का घोर उल्लंघन देखा और रिपोर्ट किया गया है, तथा आयोग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध तथा समय-समय पर आयोग द्वारा जारी आदेशों या निदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी उचित कठोर कार्रवाई आरंभ करना आवश्यक समझा है।

16. अतः अब, इस संबंध में आयोग द्वारा जारी विभिन्न निदेशों, आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में, आयोग धारा 14(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिवों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उद्योगों के संचालन और डीजी सेटों पर विनियमों के संबंध में निदेशों/आदेशों के घोर उल्लंघन के मामले में क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत/अभियोजन दायर करने के लिए अधिकृत करता है, साथ ही ऐसी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने/ऐसे डीजी सेटों को सील करने और घोर उल्लंघन के ऐसे मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने/वसूली करने का आदेश देता है, जिसमें जीआरएपी अनुसूची भी शामिल है।

17. आयोग के उपरोक्त निदेशों का पूरी ईमानदारी से अनुपालन किया जाए तथा इस संबंध में दर्ज शिकायतों की स्थिति से आयोग को मासिक आधार पर अवगत कराया जाए तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट भी आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(अरविंद नौटियाल)
सदस्य-सचिव
दूरभाष न०: 011-23701197
011-23446811
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में

1. हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सदस्य सचिव
2. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

संबंधित अधिकारियों/अधिकारियों को आगे प्रसार और आवश्यक निदेश देने के अनुरोध के साथ प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
5. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
7. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
8. अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्रतिलिपि:

आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्य।

(अरविंद नौटियाल)
सदस्य-सचिव